भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2464

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

महाराष्ट्र में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या

2464. श्री नारायण तातू राणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले सात वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे है; और

(घ) पिछले सात वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में रोजगार पाने वाले युवाओं की जिलावार और वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत, धनराशि गैर-सरकारी

संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को 1500/- रुपये प्रति माह तक की वजीफा सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है, न कि कवर किए गए प्रतिष्ठानों को । आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम(में)	राशि (करोड़ रुपये में)
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30.06.2025 तक)	765.21
एनएपीएस (2018-19 से 30.06.2025 तक)	473.31
जेएसएस योजना (2018-19 से 30.06.2025 तक)	70.43

(ग): कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य रोज़गार क्षमता में सुधार लाना और वेतन या स्व-रोज़गार में बेहतर आजीविका सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इस प्रकार युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार हो, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण(टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम एवं मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवर्डिंग बोड़ीस से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, वर्ष 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जिनका कार्य संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। एनएसडीसी, बाज़ार-आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग जगत की माँग के साथ सहयोग और कौशल पाठ्यक्रमों को अनुकूलित करते हैं।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओ के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली नौकरी-भूमिकाओं को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है।

(vi) डीजीटी ने 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को , फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक तकनीकों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता इको सिस्टम को एकीकृत करके जीवन भर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है । सिद्ध पोर्टल के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(x) एमएसडीई प्रमाणित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेलों (पीएमएनएएम) का आयोजन करता है।

(घ): एमएसडीई की योजनाओं में, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित पहले तीन संस्करणों (पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत महाराष्ट्र में नियोजित उम्मीदवारों का ज़िलावार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध -II** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

'महाराष्ट्र में नियोजित युवाओं की संख्या' के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2464 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध- I

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30.06.2025)	जेएसएस (2018- 19 से 30.06.2025 तक)	एनएपीएस (2018- 19 30.06.2025 तक)	आईटीआई (सत्र 2018 से 2024 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,501	6,300	344	3,745
आंध्र प्रदेश	5,27,676	73,391	90,886	3,62,437
अरूणाचल प्रदेश	98,157	726	234	4,362
असम	8,39,371	61,967	44,893	25,629
बिहार	7,59,846	2,07,094	26,618	7,68,001
चंडीगढ़	28,009	10,084	5,368	6,504
छत्तीसगढ	2,04,474	1,29,126	26,507	1,52,838
दिल्ली	5,26,790	36,933	1,01,872	69,297
गोवा	10,484	11,347	38,323	14,004
गुजरात	4,71,538	1,13,162	4,57,407	5,90,156
हरियाणा	7,62,041	51,161	3,08,563	3,76,559
हिमाचल प्रदेश	1,76,021	74,997	38,439	1,46,876
जम्मू और कश्मीर	4,29,204	12,796	4,814	47,632
झारखंड	3,14,048	89,915	48,829	2,34,544
कर्नाटक	6,05,147	1,29,309	3,31,007	4,92,383
केरल	2,74,550	1,08,624	62,768	2,39,119
लद्दाख	4,076	812	179	1,584
लक्षद्वीप	390	4,153	46	2,144
मध्य प्रदेश	12,13,250	3,37,676	1,13,426	5,01,934
महाराष्ट्र	**13,31,385**	**2,50,828**	**10,58,667**	**8,14,407**
मणिपुर	1,14,910	43,350	359	2,587
मेघालय	58,706	3,980	1,032	4,658
मिजोरम	44,147	6,000	256	2,205
नागालैंड	54,013	11,242	109	1,690
ओडिशा	6,02,124	2,80,785	51,228	3,80,621
पुदुचेरी	35,491	-	11,679	5,336
पंजाब	5,59,406	20,493	69,452	2,93,613
राजस्थान	14,06,943	85,663	83,551	7,57,886

सिक्किम	19,479	-	1,711	2,138
तमिलनाडु	8,85,134	92,125	3,99,748	2,45,439
तेलंगाना	4,64,107	72,087	1,77,770	2,15,189
डीएनएच और डीडी	11,842	14,000	10,607	3,799
त्रिपुरा	1,59,920	18,205	2,247	15,097
उत्तर प्रदेश	25,06,438	5,66,204	3,03,818	21,61,826
उत्तराखंड	2,51,815	84,755	84,946	72,137
पश्चिम बंगाल	6,50,830	84,594	1,21,323	2,48,005
कुल योग	**1,64,07,263**	**30,93,884**	**40,79,026**	**92,66,381**

अनुबंध- II

पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0, और 3.0) के अंतर्गत महाराष्ट्र में नियोजित उम्मीदवारों का जिलावार ब्यौरा

ज़िला	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अहमदनगर	963	313	368	208
अकोला	216	542	68	64
अमरावती	655	901	272	90
औरंगाबाद	158	761	168	31
बीड	198	974	253	354
भंडारा	1,170	405	134	193
बुलढाना	295	879	172	118
चंद्रपुर	664	596	95	12
धुले	241	1,223	138	12
गडचिरोली	593	943	142	13
गोंदिया	1,016	756	360	817
हिंगोली	-	302	155	244
जलगांव	674	1,268	402	15
जालना	25	475	552	34
कोल्हापुर	980	980	555	1,901
लातूर	1,326	714	110	296
मुंबई	139	38	3	8
मुंबई उपनगरीय	103	-	147	39
नागपुर	1,780	614	590	501
नांदेड़	288	704	121	32
नंदुरबार	403	917	91	-
नासिक	662	1,855	313	72
उस्मानाबाद	155	506	43	8
पालघर	140	765	18	-
परभणी	-	208	321	151
पुणे	3,666	2,362	752	647
रायगढ़	62	141	101	21
रत्नागिरि	-	72	-	-
सांगली	182	701	97	106
सतारा	72	535	394	100
सिंधुदुर्ग	77	-	312	-
सोलापुर	123	201	348	671
ठाणे	257	784	156	79
वर्धा	519	399	285	96
वाशिम	187	509	241	-
यवतमाल	835	630	553	156
कुल योग	**18,824**	**23,973**	**8,830**	**7,089**

*****